

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO.- 2025/881

—:: आदेश ::—

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी सिलोर व भू.अ. समदड़ी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	पाबुपुरा	9, 158, 595 / 155	दशरथ पुत्र मगराज व दशरथसिंह पुत्र मगराज सुआदेवी पत्नी खेतसिंह	अशोकसिंह उर्फ दशरथसिंह पुत्र मगसिंह उर्फ मगराज उछबकंवर उर्फ सुआदेवी पत्नी खेतसिंह
2	सिलोर	243, 312, 315, 246, 313, 267, 281, 285, 266	दशरथ पुत्र मगराज व दशरथसिंह पुत्र मगराज सुआदेवी पत्नी खेतसिंह	अशोकसिंह उर्फ दशरथसिंह पुत्र मगसिंह उर्फ मगराज उछबकंवर उर्फ सुआदेवी पत्नी खेतसिंह

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)  
उपखण्ड अधिकारी  
सिवाना (बालोतरा)

क्रमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025 / 2351

दिनांक- 30-10-2025

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी अशोकसिंह उर्फ दशरथसिंह पुत्र मगसिंह उर्फ मगराज जाति राजपुरोहित निवासी सिलोर तहसील समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।

